

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समस्त जिले।

विषय:-व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में कक्षा 9 व 11 के व्यावसायिक विषयों की  
सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा-2022के आयोजन बाबत।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्रानुसार व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा  
संचालित विद्यालयों में सत्र 2021-22 में कक्षा 9 व कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की  
व्यावसायिक परीक्षा-2022 के आयोजन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. **सैद्धान्तिक परीक्षा-2022** :- व्यावसायिक शिक्षा के समस्त ट्रेड/विषय की सैद्धान्तिक  
परीक्षा-2022 जिला समान परीक्षा योजनान्तर्गत/विद्यालय स्तर पर आयोजित की  
जानी है।
2. **प्रायोगिक परीक्षा-2022** :- व्यावसायिक शिक्षा के समस्त ट्रेड/विषय की प्रायोगिक  
परीक्षा-2022 दिनांक 27.04.2022 से 30.04.2022 की समयावधि में निम्नानुसार  
आयोजित की जानी है।

(अ) एक ही जिले में कार्यरत Vocational Trainers को Interchanging Amongst  
Different School के आधार पर Practical Assessment का कार्य करवाया जाना  
है।

(ब) यदि किसी जिले में एक ट्रेड का मात्र एक ही विद्यालय हो तो निकटतम जिले से  
उसी ट्रेड के व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय के Vocational Trainer द्वारा  
Practical Assessment का कार्य करवाया जाना है।

उक्त दोनों ही स्थितियों में व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT) को सम्बन्धित विद्यालय द्वारा  
नियमानुसार (जहां परीक्षा ली गई है) यात्रा का मूल टिकट प्रस्तुत करने पर वास्तविक किराया  
कार्यालय व्यय मद (व्यावसायिक शिक्षा) से पुनर्भरण किया जायेगा। व्यावसायिक शिक्षा की उक्त  
परीक्षाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन व मूल्यांकन की मॉनिटरिंग जिला कार्यालय द्वारा की जायेगी।

उक्तानुसार पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(शीलावती मीणा)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूशिप, जयपुर।
02. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक- II, रास्कूशिप, जयपुर।
03. संयुक्त निदेशक, रास्कूशिप, जयपुर।
04. संयुक्त निदेशक, शैक्षणिक संभाग, समस्त।
05. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिलों को भेजकर लेख है  
कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों को उक्तानुसार परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अविलम्ब निर्देशित  
करावें।
06. उपनिदेशक (शाला दर्पण), रास्कूशिप, जयपुर को व्यावसायिक शिक्षा पोर्टल पर अपलोड  
कराने बाबत।
07. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त